राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी की ओर से
01.	135/2025	गजेन्द्र कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव,चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज, (मेडिकल) विभाग, राजस्थान , जयपुर। 3. मुख्य चिकित्साधिकारी, पाली।	श्री प्रमेन्द्र बोहरा
02.	111/2025	हरलाल सारण	1. शासन सचिव, ग्रामीण पंचायती राज, विभाग जयपुर। 2. शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जालौर।	श्री हापू राम विश्नोई

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 135/2025 गजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसलाव (Koshelav), पाली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, देंचू, फलोदी में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे का यह

कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की अनुमति के बिना किया गया है जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विपरीत तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11862/2017 सेमलता बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) जो कि अवैध एवं मनमाना है को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसलाव (Koshelav), पाली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय , देंचू, फलोदी में किया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। हमारे विनम्र मत में इस आदेश में इन नियमों के आदेशों की अवहेलना किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ.4(02)प.राज/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 के बिंदु संख्या 4 में निम्नांकित प्रावधान किया गया हैः–

(i) *'' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप चिकित्सा एवं केन्द्र एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन कर दिये जावें। जिला परिषद् विभाग स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मय स्टाफ हस्तान्तरित कर दिया जावे जो हस्तान्तरित चिकित्सा केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।*

(ii) *जन कल्याण एवं परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू होने के लिये इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ एवं जिला स्तर तक के सम्पूर्ण स्टाफ को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावे।*

(iii) *एन.आर.एच.एम, द्वारा क्रियान्वित की जा रही जिला स्तर तक की गतिविधियाँ, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित करवाई जावें एवं इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर तक सृजित स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावे।''*

7. उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसलाव (Koshelav), पाली पंचायती राज विभाग को अंतरित नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 2011 के उक्त नियमों के नियम 2(iv) में अंतरित कार्मिक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः—

> "Transferred employees means employees working on the post relating to activities transferred to the Panchayati Raj Institutions"

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसलाव (Koshelav), पाली में कार्यरत होने के कारण अंतरित कार्मिक नहीं है और उस पर राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

8. साथ ही निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के बिन्दू संख्या 10 में भी स्पष्ट अंकित है कि मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वंतत्र प्रभार आवंटित है।
9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> ***"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

ए.आई.आर, 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब, कहां पदस्थापित करें।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2018 (अनुलग्नक–1) में किसी प्रकार की विधि विरूद्धता अथवा विधिक अशक्तता नहीं होने तथा अपील अपीलार्थी बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

11. मूल आदेश अपील संख्या 135/2025 गजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य में संलग्न किया जावे एवं उसकी छायाप्रति अन्य अपील संख्या 111/2025 पत्रावली में भी संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य